

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री समदरसिंह भाटी, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2023/  
प्रार्थीगण

1355

बनाम

अप्रार्थीगण

दिनांक - 14/04/23

1 सुजाणाराम 2 नखताराम  
पिसरान किस्तुराराम 3  
कानाराम 4 बलवंताराम 5  
भाखराराम 6 रामाराम 7  
सरूपाराम पिसरान सांगाराम 8  
मालूदेवी पत्नी सांगाराम जाति  
भील निवासी जसवंतसिंहपुरा  
(सोमाणियों की ढाणी) गेहूं  
तहसील व जिला बाड़मेर।


1 उम्मेदसिंह 2 पपसिंह पिसरान भाणसिंह जाति राजपूत  
निवासी हापों की ढाणी बाड़मेर 3 डूंगरसिंह पुत्र मूलसिंह  
जाति राजपूत निवासी जसवंतसिंहपुरा (सोमाणियों की  
ढाणी) गेहूं 4 चुनाराम 5 किशनाराम पिसरान दुर्गाराम जाति  
दर्जी निवासी गेहूं 6 मथराराम पुत्र जुगताराम 7 गेमराराम  
पुत्र बगताराम 8 लाखाराम 9 राणाराम पिसरान पीराराम 10  
तेजाराम 11 मोहनराम पिसरान सिबदानराम 12 सुजाराम  
पुत्र जलालराम जाति भील निवासी जसवंतसिंहपुरा  
(सोमाणियों की ढाणी) गेहूं 13 नैनूदेवी पत्नी हजाराम  
जाति सुथार निवासी गेहूं तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत  
राजस्व आवेदन संख्या :- 85/2021

दिनांक- 06/04/23

## आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा जसवंतसिंहपुरा पटवार क्षेत्र जालीपा तहसील बाड़मेर ग्रामीण व  
जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 46 रकबा 71.17 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित  
करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण को कमीशनर नियुक्त किया जाता है।  
उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित  
करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत  
राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में  
नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित  
की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।


  
(समदरसिंह भाटी)  
उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर

क्रमांक :- रीडर/2023/ 1356-59

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी जालीपा तहसील बाड़मेर ग्रामीण को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. सुजाणाराम पुत्र किस्तुराराम राम वगैराह जाति भील निवासी जसवंतसिंहपुरा (सोमाणियों की ढाणी) गेहूं तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी उम्मेदसिंह पुत्र भाणसिंह वगैराह जाति राजपूत निवासी हापों की ढाणी बाड़मेर तहसील व जिला बाड़मेर।

दिनांक- 14/04/23

  
उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर